



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, एवं संभावित समाधान

¹Mr. Neelesh Kumar, ²Dr. Gopal Singh, ³Miss. Geeta Rani

¹Senior Research Fellow, ²Assistant Professor, ³Assistant Professor

¹Department of Education,

¹Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur UP, India 208024

सारांश

विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई दिव्यांगता पर पहली विश्व रिपोर्ट बताती है कि आज दुनिया में एक अरब से अधिक लोग दिव्यांगता से ग्रसित हैं, इसलिए दुनिया की लगभग 10 प्रतिशत आबादी दिव्यांगता से ग्रसित है। भारत में दिव्यांगता के संबंध में अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है तथा पहचान करवाना उससे भी कठिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 मार्च 2023 के समाचार कक्ष में कहता है कि एक अनुमानित 1.3 अरब लोग दिव्यांगता को महसूस करते हैं, अर्थात् दुनिया की आबादी में से 16 प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं या प्रति 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति दिव्यांग है। वहीं भारत की बात करें तो कुल जनसंख्या के 2.21 प्रतिशत लोग दिव्यांग व्यक्ति हैं।

मुख्य बिंदु दिव्यांग चुनौतियाँ, एवं संभावित समाधान

परिचय

आज कल हर एक व्यक्ति के सामने नई-नई चुनौतियाँ होती हैं अगर दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें तो उनके सामने सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा चुनौतियाँ होती हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की चुनौतियों का कारण उनकी दिव्यांगता भी हो सकती है इसलिए दिव्यांगता को भी जानना अति आवश्यक होगा। दिव्यांगता मानवीय स्थिति का हिस्सा है। लगभग हर कोई जीवन में किसी न किसी उम्र पर अस्थायी या स्थायी रूप से विकलांग होता है और जो लोग बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे उन्हें कामकाज में बढ़ती कठिनाइयों का अनुभव होगा।

डब्ल्यू. एच. ओ. और डब्ल्यू. बी. रिपोर्ट 2011 विकलांगता जटिल, गतिशील और बहुआयामी है। व्यक्तिगत, चिकित्सा परिप्रेक्ष्य से संरचनात्मक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन को "चिकित्सा मॉडल" से "सामाजिक मॉडल" में बदलाव के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें लोगों को उनके शरीर के बजाय समाज द्वारा अक्षम माना जाता है। चिकित्सा मॉडल और सामाजिक मॉडल को अक्सर द्विभाजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन विकलांगता को न तो पूरी तरह से चिकित्सीय और न ही पूरी तरह से सामाजिक के रूप में देखा जाना चाहिए विकलांग व्यक्ति अक्सर अपनी स्वास्थ्य स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं।

इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की सामान्य आवश्यकताएँ (रोटी, कपड़ा और मकान) तक पहुँचने के दौरान दिव्यांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन कर संभावित समाधान प्रदान करना है।

अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन भारत में देखने को मिलता है।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) की धारा 2 (ज) के अंतर्गत चार प्रकार की अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है –

- | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1.स्वपरायणता | 2.प्रमस्तिष्क पक्षाघात | 3.बहुनिशक्तता | 4.मानसिक मंद |
|--------------|------------------------|---------------|--------------|

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 2 (झ) के तहत दिव्यांग को 7 श्रेणी में बांटा गया है –

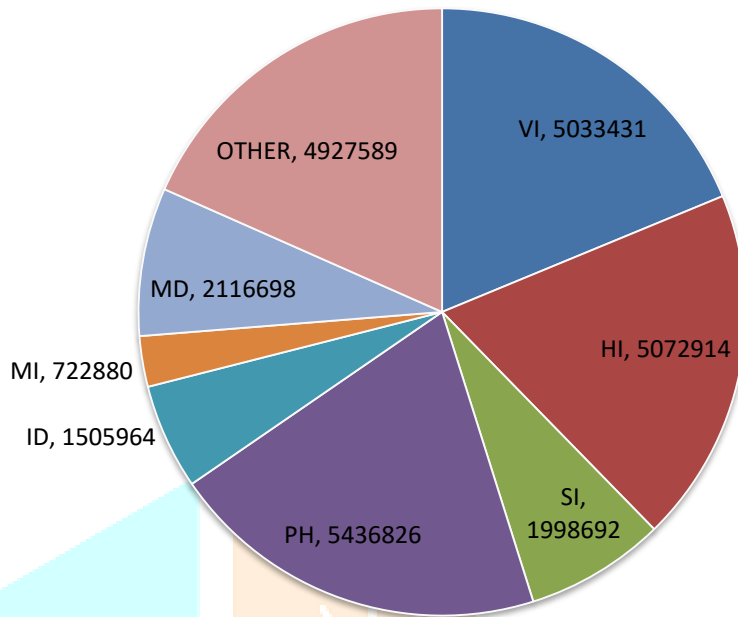
- | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1.अंधा | 2.कम दृष्टि | 3.मानसिक बीमार | 4.मानसिक मंद |
| 5.चलन निशक्त व्यक्ति | 6.कुष्ठ रोग मुक्त | 7.श्रवण अक्षम | |

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) में 21 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है—

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1.अंधापन | 2.कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति |
| 3.कम दृष्टि | 4.लोकोमोटर दिव्यांगता |
| 5.बौद्धिक दिव्यांगता | 6.मस्कुलर दिव्यांगता |
| 7.बेसिक सीखने की क्षमता | 8.भाषण और भाषा दिव्यांगता |
| 9.हीमोफीलिया | 10. बहरापन |
| 11.ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार | 12.सुनवाई हानि |
| 13.बौनापन | 14.मानसिक बीमारी |

15.सेरेब्रल बीमारी
17.मल्टीपल स्क्लेरोसिस
19.सिकलसेल रोग
21.पार्किंसंस रोग

16.जीर्ण तंत्रिका संबंधी बीमारी
18.थैलेसीमिया
20.एसिड अटैक



<https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables>

ग्राफ 1.1.

भारत में दिव्यांगता श्रेणी को प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ

क्रमांक	साक्षरता स्तर	कुल दिव्यांग	दिव्यांग पुरुष	दिव्यांग महिला
1.	निरक्षर	12196641	5640240	6556401
2.	साक्षर	14618353	9348353	5270000
3.	साक्षर लेकिन प्राथमिक स्तर से नीचे	2840345	1706441	1133904
4.	प्राथमिक से लेकर जूनियर से नीचे	3554858	2195933	1358925
5.	जूनियर से लेकर माध्यमिक से नीचे	2448070	1616539	831531
6.	मैट्रिक/माध्यमिक लेकिन स्नातक से नीचे	3448650	2330080	1118570
7.	स्नातक और उससे ऊपर	1246857	839702	407155
8.	कुल	26814994	14988593	11826401

तालिका 1.1

<https://censusindia.gov.in/census.website/data/census&tables>

उपरोक्त तालिका 1.1. में भारत में कुल दिव्यांग साक्षरता दर 26814994 है तथा पुरुष दिव्यांग की साक्षरता दर 14988593 है तथा दिव्यांग महिला की साक्षरता दर 11826401 है।

क्रमांक	दिव्यांगता का प्रकार	कुल	पुरुष	महिला
1.	दृष्टिबाधित	5033431	2639028	2394403
2.	श्रवण बाधित	5072914	2678584	2394330
3.	वाणी अक्षमता	1998692	1122987	875705
4.	चलन अक्षमता	5436826	3370501	2066325
5.	मानसिक मंदता	1505964	870898	635066
6.	मानसिक बीमार	722880	415758	307122
7.	बहु विकलांगता	2116698	1162712	953986
8.	अन्य	4927589	2728125	2199464

तालिका 1.2

स्रोत- <https://censusindia-gov-in/census-website/data/census&tables>

भारत में दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार तालिका 1.2 में कुल दिव्यांग 26814994, पुरुष दिव्यांग 14988593, महिला दिव्यांग 11826401 हैं।

भारत देश में विकलांगता के कारण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) ने अफ्रीका के 29 देशों के अध्ययन में बताया कि विकलांगता का सबसे प्रमुख कारण संक्रामक रोग था। प्रमुख स्थितियों में मलेरिया, पोलियो और कुष्ठ रोग के साथ-साथ अन्य संचारी रोग जैसे तपेदिक, ट्रेकोमा, मीडिया, मेनिनजाइटिस और परजीवी रोग सामिल हैं। विकलांगता का दूसरा प्रमुख कारण युद्ध, आघात या दुर्घटनाएँ (मुख्यतः सड़क दुर्घटनाएँ) थी। विकलांगता का तीसरा सबसे आम कारण मिर्गी जैसी जन्मजात और गैर संक्रामक बीमारियाँ थीं। इसके साथ ही प्रसवपूर्व सही देखभाल न करने के परिणामस्वरूप सेरेब्रल पाल्सी जैसी विकलांगताएँ होती हैं। विकलांगता के अन्य कारणों में विटामिन ए, आयरन और आयोडीन की कमी के कारण कुपोषण और मधुमेह जैसी विकलांगताएँ होती हैं। वर्तमान में कोविड १९ महामारी ने भी विकलांगता की व्यापकता में वृद्धि की है क्योंकि कोविड १९ महामारी से पीड़ित कई लोगों में मानसिक, शारीरिक और कार्यात्मक कमी देखने को मिल सकती हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ रिपोर्ट, २०११ अध्ययन में पाया गया कि हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी स्थितियाँ बड़े पैमाने पर कुपोषण और बचपन के संक्रामक रोगों जैसे पारंपरिक सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को पीछे छोड़ रही हैं, मानसिक बीमारी और पीठ के निचले हिस्से में दर्द विकलांगता का सबसे आम कारण है, जिसमें मानसिक बीमारी के 23 प्रतिशत लोग सामिल हैं।

स्नाइडर (2002) के अनुसार माता-पिता को अपने दिव्यांग बच्चों को “आशा” के साथ मानने के लिए बाध्य किया गया है, जो कि विचार का एक पैटर्न है जिसमें कई अवधारणाएँ और सोचने के तरीके शामिल हैं। किसी समस्या का अवलोकन और समाधान करते समय जो आवश्यक है उसे करने में विश्वास रखना आवश्यक है।

अजीम एट.अल. 2013 दिव्यांग बच्चों वाले माता-पिता के लिए चुनौतियाँ आम हैं। वे पूर्ण परिस्थितियों, कठिनाई, हानि और दर्द जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। माता-पिता का भी अपने बच्चों के जीवन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। दिव्यांग बच्चे के पालन-पोषण के परिणामस्वरूप, इन बच्चों के प्रति माता-पिता अक्सर हानि, पश्चाताप और अकेलापन महसूस करते हैं।

कुमार नीलेश २०२१ के अध्ययनानुसार दिव्यांगता से ग्रसित बालको के माता-पिता के अनुभव मुद्दे एवं चुनौतियों का अध्ययन में पाया कि दिव्यांग बच्चों के माता-पिता द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के कई विवरणों से पता चला कि दिव्यांग बच्चों का पालन-पोषण करना बहुत कठिन हो सकता है क्यों कि ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जिनसे माता-पिता को निपटना होगा जिसमें भावनात्मक और वित्तीय तनाव, समर्थन की कमी, भेदभाव शामिल हैं। सामाजिक संपर्कों का नुकसान और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ, अवसाद, शारीरिक थकावट और जीवन की निम्न गुणवत्ता का कारण बन सकती हैं।

इस शोधपत्र में शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की गई है—

- दिव्यांग बालको के सामने विद्यालय तक पहुंचने में कौन-कौन सी समस्याएँ होती है।?
- दिव्यांग बालक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते समय कौन-कौन सी समस्या महसूस करते है।?
- दिव्यांग बालको के सामने दिव्यांगता होने के कारण रोजगार पाने में समस्या होती है।?
- क्या दिव्यांग बालक सामाजिक, सांस्कृतिक भेदभाव महसूस करते है।?

विधि

अनुसंधान डिजाइन

इस अध्ययन के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है जिसमें एक घटनात्मक डिजाइन का उपयोग किया गया है। घटनात्मक डिजाइन को अनुसंधान प्रश्नों के अनुसार चुना गया था।

प्रदत्त

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश के दिव्यांग बालक एवं उनके माता-पिता को प्रदत्त के रूप में लिया गया है जिसमें 300 दिव्यांग बालक एवं उनके माता-पिता ने अपनी सहमति दी सभी दिव्यांग बालक एवं उनके माता-पिता को अवगत कराया गया की आपके द्वारा दी गई जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

प्रदत्तसंग्रहण

अध्ययन के शोध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए चयनित समूह के साथ टेलीफोन द्वारा असंरचित गहन साक्षात्कार (असंरचित साक्षात्कार) आयोजित किया गया। जो इस अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित था शोधकर्ता ने प्रतिभागियों से खुली प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की साक्षात्कार के पहले भाग में प्रतिभागियों की विद्यालय तक पहुंच, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने से सम्बंधित चुनौतियाँ, दिव्यांगता के कारण आर्थिक समस्या, दिव्यांगता होने के कारण रोजगार पाने में समस्या एवं सामाजिक, सांस्कृतिक भेदभाव पर प्रदत्त एकत्र किया गया। प्रदत्त की साक्षात्कार प्रक्रिया में प्रत्येक प्रतिभागी के लिए 10 से 15 मिनट का समय शोधार्थी द्वारा दिया गया था। शोधकर्ता द्वारा गहन जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ प्रतिभागियों के साथ आमने सामने साक्षात्कार आयोजित किया गया। इस विधि में गुणात्मक प्रदत्त को विच्छेदित करके और डेटा की श्रेणियों, विषयों या आयामों की खोज करना शामिल है। शोध के मूल लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, मुझे श्रेणियाँ और उपश्रेणियाँ मिलीं। मैंने डेटा को बार-बार देखा और उसकी तुलना और वर्गीकरण किया फिर श्रेणियों को सामान्य वाक्यांशों में सीमित किया। परिणामों का विश्लेषण करने और साक्षात्कारों में सामने आने वाली समस्याओं की बुनियादी समझ रखने में सक्षम था। मैंने प्रदत्त का संग्रहण कर उसका निष्कर्ष वर्णित किये।

क्रमांक	दिव्यांगता का प्रकार	कुल	पुरुष	महिला
1.	दृष्टिबाधित	48	28	20
2.	श्रवण बाधित	46	29	17
3.	वाणी अक्षमता	17	09	08
4.	चलन अक्षमता	62	28	34
5.	मानसिक मंदता	27	15	12
6.	मानसिक बीमार	23	10	13
7.	बहु दिव्यांगता	17	07	10
8.	अन्य	60	27	33
9.	कुल	300	153	147

तालिका 3.1
प्रतिभागियों की जनसांख्यिकीय जानकारी

निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा एकत्र किए गए प्रदत्त का विश्लेषण करने के पश्चात यह परिणाम निकला है की प्रतिभागियों को विद्यालय तक पहुंचने में वाहन की समस्या, विद्यालय की दूरी, प्रवेश में समस्या, विशेष शिक्षक की कमी, विद्यालय की भौतिक पहुँच, माता-पिता के सामने बालक में दिव्यांगता की कारण आर्थिक समस्या, गरीबी, दिव्यांगता होने के कारण रोजगार पाने में समस्या एवं सामाजिक, सांस्कृतिक भेदभाव से सम्बंधित समस्या आती हैं।

दिव्यांग बालको के सामने विद्यालय तक पहुंचने में कौन-कौन सी समस्याएँ होती है ?

कई प्रतिभागीयों ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा कि वह विद्यालय तक पहुंचने में समस्या महसूस करते हैं जिसमें चलन अक्षमता, मानसिक मंद दिव्यांग बालक विद्यालय तक पहुंचने में काफी ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ दिव्यांग बालक अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं की कुछ दूरी पर विद्यालय होने पर वाहन से जाने में दिक्कत होती है या फिर अभिभावक विद्यालय तक साथ जाते हैं। टिप्पणियों से पता चलता है कि दिव्यांग बालक विद्यालय तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं जिसका कारण दिव्यांगता, विद्यालय की दूरी, दिव्यांग बालको के लिए उचित वाहन की कम उपलब्धता दिव्यांग बालको के सामने विद्यालय तक पहुंचने में समस्या पैदा करती है।

दिव्यांग बालक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते समय कौन-कौन सी समस्याएँ महसूस करते है ?

एक दिव्यांग बालक विद्यालय में अध्ययनरत अपने अधिगम अनुभव को साझा करते हुए कहता है की मुझको अपने काम को करने में दिक्कत होती है जो भी शिक्षक हमको पढ़ाते है वह कम समझ आता है मगर जब दोबारा उस चीज को सर समझाते है तो समझ आ जाता है। वही एक अन्य दिव्यांग बालक ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा की मुझको स्कूल तक जाने में समस्या होती है मैं ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी के मौसम में स्कूल पहुंचने में और ज्यादा समस्या महसूस करता हूँ।

एक और वाक् दिव्यांग बालक ने शिक्षक को अपनी बात समझाने में समस्या महसूस करने की बात शोधार्थी से साझा की।

उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है दिव्यांग बालक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते समय सामान्य शिक्षक द्वारा उपयोग की गई शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण विधि दिव्यांग बालक के अनुसार नहीं थी कहीं न कहीं दिव्यांग बालक विशेष शिक्षक की कमी महसूस करता है अस्थि दिव्यांग बालकों को विद्यालय की पहुंच शिक्षा प्राप्त करने में बाधा बन रही है जिसके लिये गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम की पहुंच हर दिव्यांग बालक तक करनी चाहिए। विशेष शिक्षक, ऑडिओलॉजिस्ट, स्पीचथेरेपिस्ट, फिसिओथेरेपिस्ट की कमी होने के कारण हर एक दिव्यांग बालक की विशेष आवश्यकता भी नहीं पूर्ण हो पा रही है।

दिव्यांग बालको के सामने दिव्यांगता होने के कारण रोजगार पाने में समस्या आती है ?

एक दिव्यांग बालक का यह कहना है "ईमानदारी से अगर बताये तो कोई भी हम लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार ही नहीं होता है"

एक और लगभग 25-30 प्रतिशत अस्थि दिव्यांगता से ग्रसित बालक ने कहा की जब मैं एक क्लर्क की पोस्ट पर साक्षात्कार देने गया तो सबसे पहले यही कहा की आप टाइपिंग, लिखना, फाइल को इधर उधर ले जा पाओगे इसका उत्तर जब मैंने सकारात्मक दिया तब उन्होंने हमको जॉब प्रदान की।

एक और दिव्यांग बालक से टेलीफोन के माध्यम से बात की तो उस बालक ने अपने जवाब में कहा की मैं जॉब करने में सक्षम नहीं हूँ इसलिए मैं कही साक्षात्कार नहीं देता हूँ।

टिप्पणियों से पता चलता है दिव्यांग बालक रोजगार पाने और करने में भी सक्षम हैं बसर्त रोजगार उनके अनुसार होना चाहिए अंत वाली टिप्पणी से पता चलता है दिव्यांग बालको में रोजगार के प्रति रोजगार काउंसलिंग, मार्गदर्शन या परामर्श का अभाव है।

क्या दिव्यांग बालक सामाजिक, सांस्कृतिक भेदभाव महसूस करते है ?

भेदभाव के तहत एक प्रतिभागी ने अपनी राय इस प्रकार व्यक्त की: "कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो कुछ छोटे-छोटे बच्चे मेरी दिव्यांगता का मजाक बनाते हैं और मेरे बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं।

एक और प्रतिभागी ने अपनी राय इस प्रकार व्यक्त की कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझको लगता है कि कुछ शिक्षक हमको विकलांग होने के कारण इग्नोर, अलग सा महसूस करते हैं।

एक और दिव्यांग प्रतिभागी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहता है कि जब मैं किसी शादी या सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाता हूँ तो लोग हमें अलग नजरिये से देखते है ऐसा मैं एहसास करता हूँ।

इन टिप्पणियों से पता चलता है कि दिव्यांग बालक सामाजिक भेदभाव महसूस करते है मगर वर्तमान में प्रभावशाली नीतियों के कारण ऐसा नहीं है क्यों कि लगभग हर एक व्यक्ति दिव्यांगता शब्द को जानता है भले ही वह पूरी तरह से विकलांगता के कारण, प्रभाव, प्रकार न जानता हो।

टिप्पणियों से यह भी पता चला कि दिव्यांग बालक सामाजिक, सांस्कृतिक भेदभाव को महसूस करते हैं जिससे उनकी भावनाएं आघात होती हैं।

चर्चाएं

अध्ययन के निष्कर्षों पर मिली प्रतिक्रियाओं के अनुसार दिव्यांग बालकों में विद्यालय तक पहुंचने, शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार पाने, एवं सांस्कृतिक भेदभाव दिव्यांग बालक महसूस करते हैं दिव्यांग बालको द्वारा विद्यालय तक पहुंचने, शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार पाने में दिव्यांग बालकों के सामने कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना दिव्यांग बालक को करना होगा जैसे दिव्यांग बालकों की विद्यालय तक पहुँच, शिक्षण समस्यायें सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव जैसी समस्यायें सम्मिलित है जो दिव्यांग बालकों एवं उनके माता-पिता के सामने मनोवैज्ञानिक समस्यायें जीवन जीने का कौशल (रहन-सहन), दिव्यांग बालक की सामान्य बालक की तरह पहुँच की गुणवत्ता अच्छी होने की संभावना काम हो सकती हैं।

निष्कर्ष एवं संभावित समाधान

अध्ययन के कुछ प्रासंगिक निष्कर्ष निकले हैं जो दिव्यांग बालक को शिक्षा तक पहुँच में सहायता प्रदान करेंगे तथा वाहन की उचित व्यवस्था, उपलब्धता के कारण विद्यालय तक पहुँचने में समस्या महसूस करते हैं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृह आधारित पुनर्वास जैसे कार्यक्रम बालकों के लिए अच्छे साबित होंगे। गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम, एन जी ओ ,सी आर सी व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, जिला पुनर्वास केंद्र इन बालकों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए कार्यरत हैं। जो इन बालकों की आवश्यकता कि अनुसार शिक्षा से लेकर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधाएँ प्रदान करते हैं जिससे एक अस्थिविकलांग बालक विद्यालय तक पहुँच कर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार रोजगार पाने में दिव्यांगता एक बड़ी बाधा बनती हैं। हालाँकि सामाजिक दृष्टिकोण (क्या तुम भी नौकरी करोगे ?, तुम सुन नहीं पाते तो कैसे नौकरी करोगे ?) जैसी बाधाएं भी काम रोड़ा नहीं पैदा करती हैं। तो ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण, भेदभाव की तरफ भी कहीं न कहीं इशारा कर रहा है जो दिव्यांग बालक महसूस करते हैं।

यह अध्ययन दिव्यांग बालकों को विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करने कि साथ-साथ रोजगार को प्रदान करने में सहायता करेगा तथा भेदभाव मुक्त वातावरण भी प्रदान करेगा।

अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर निहितार्थ

उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी विशेष शिक्षकों, परामर्शदाताओं, गैर सरकारी संगठन एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठन को अपने पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम को और विस्तृत करना चाहिए जिससे हर एक दिव्यांग बालक शिक्षा तक पहुँच सके। तथा शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियाँ में भी परिवर्तन करना चाहिए ताकि हर एक विशेष आवश्यकता वाला बालक आसानी से अध्ययन कर सके उत्तर प्रदेश के सभी प्रधानाध्यापक, परामर्शदाता, विशेष शिक्षक को रोजगार के प्रति जागरूकता, भेदभाव रहित वातावरण तथा अभिभावक को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान कराना चाहिए समाज में दिव्यांग बालकों के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उस नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने में यह शोध सहायता प्रदान करेगा साथ ही साथ दिव्यांग बालकों के प्रति समाज में जो नीतियां बन रही है उन नीतियों को बनाने में भी यह शोध सहायता प्रदान करेगा। दिव्यांगों को चुनौतियों से निपटने में भी यह शोध कारगर साबित होगा। साथ ही साथ दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेदभाव मुक्त वातावरण तैयार करने, जीवन यापन के लिए दिव्यांग बालकों को रोजगार ढूँढने में यह शोध सहायता प्रदान करेगा। दिव्यांग बालक को आत्मनिर्भर बनाने में यह शोध उपयुक्त साबित होगा।

संदर्भ सूची

- कुमार, संजीव (2008). विशिष्ट शिक्षा. प्रथम संस्करण. जानकी पब्लिकेशन.
 गुप्ता, एस.पी. गुप्ता, अलका (2018). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत एवं व्यवहार. शारदा पुस्तक भवन.
 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016. भारत सरकार नई दिल्ली.
 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995). निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम –1995.
 बिहारी, रमन पलोड, सुनीता (nd). शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य. आर. लाल. पब्लिकेशन.
 भार्गव, महेश (2015). विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास. बारवों संस्करण. राखी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड.
 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (1992) संशोधित 2006.
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2005). एक्शन प्लान फॉर इंकलूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी.
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. भारत सरकार नई दिल्ली.
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान 2001. भारत सरकार नई दिल्ली.
 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय स्कीम फॉर असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज फिटिंग आफ एड्स एंड अप्लायंसेज (एडिट स्कीम). भारत सरकार नई दिल्ली.
 कविंद्र, रागिनी (2017). बाल विकास और अध्यापन कला. एम.सी. ग्रा. हिल एजुकेशन.
 कुमार, नीलेश (2021). दिव्यांगता से ग्रसित बालको के माता-पिता के अनुभव, मुद्दे एवं चुनौतियों का अध्ययन. शोध सरिता. 8(29).
 Tali, H. (2002). Parents of Children with Disabilities: Resilience, Coping, and Future Expectations. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14, 159-171.
 United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>
 World Health Organization (2002). *International Classification, Functioning Disability and Health (ICF)* Geneva: World Health Organization.
 Kumar, Neelesh (2021). Issues and challenges faced by women/girls with disability in pursuing higher education of uttar Pradesh. *Shodh Sanchar Bulletin*. 11(41). 157-202.

Kumar,Neelesh&Singh,Gopal (2022). Scientific Attitude in Students with Hearing Impairment at Secondary level. *Shiksha Shodh Manthan*.8(2). 54

